न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 87 / 2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 04.07.2017
निर्णय दिनांक – 04.12.2017

1. श्री उदयसिंह पिता श्री नारायण सिंह राजपूत, निवासी पगारा, तहसील भदेसर, जिला चितौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती रेशम कुंवर पत्नी श्री नारायण सिंह राजपूत, निवासी पगारा, तहसील भदेसर, जिला चितौड़गढ़ (राज.)

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता श्री घासीराम कुमावत, निवासी खोड़ी, तहसील भदेसर, जिला चितौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेण्ट

उपस्थित–
1– श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2– श्री पी.सी.पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर जिला चितौड़गढ़ दिनांक 25.04.2017 प्रकरण संख्या 08 / 2017.

निर्णय

दिनांक 04.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर जिला चितौड़गढ़ दिनांक 25.04.2017 प्रकरण संख्या 08 / 2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों. ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत ग्राम पगारा पटवार मण्डल नन्नाणा में अपने खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 254 / 22 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात

के अपीलान्ट्स पडौसी होने से पक्षकार बना कर दिनांक 24.04.2017 को उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र उसके उक्त खाते, कब्जे की आराजीयात के चारों ओर पत्थरगढ़ी करा स्थाई सीमा चिन्ह हेतु पेश किया गया। उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर ने दिनांक 25.04.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार भदेसर को 500/– रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं प्रश्नगत आराजी की भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढ़ी कराई जावे तथा पत्थरगढ़ी के पत्रादि न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.11.2017 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विपरित होकर कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आनन फानन में निर्णय पारित किया वो अपने आप में ही संशय पैदा करता है कि दिनांक 24.04.2017 को प्रार्थना पत्र पेश हुआ और दिनांक 25..04.2017 को निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र में अपीलान्टगणों को विपक्षी बनाया हुआ है, विपक्षी को न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किये, न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया और न ही अपनी बात कहने का मौका दिया, मनमकसूद तरीके से विधिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए न्यायालय की प्रकिया का दुरुपयोग करते हुए सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय पूर्णतया विधिक दृष्टि से शून्य होकर निरस्त योग्य है। तहसीलदार भदेसर द्वारा दिनांक 24.05.2017 को पत्थरगढ़ी कर दी और आनन फानन में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट पेश कर दी गई। जिसकी जानकारी अपीलान्टगणों को होने पर प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों के मध्ये नजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25. 04.2017 को निरस्त फरमाया जाने की प्रार्थना की ।

विद्वान वकील रेस्पों. ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के पत्थरगढ़ी आदेश की पालना में सभी पक्षकार को नोटिस दिनांक 15.05.2017 पक्षकार को जारी कराया गया एवं दिनांक 18.05.2017 को मौके पर जाकर पत्थरगढ़ी पक्षकार व मौतबीरान की उपस्थिति में कर दी गई है। पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी

को पाबन्द किया गया कि लगाये गये पत्थरों को खुर्द बुर्द नहीं करें। पर्चा मौका पर अपीलान्ट रेशम कुंवर ने हस्ताक्षर नहीं किये गये। इस तरह पत्थरगढ़ी के आदेश दिनांक 25.04.2017 की पालना हो जाने से अपील चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य है। रेस्पों. हीरालाल द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बाद रेशम कुंवर के विरुद्ध कब्जायाबी व निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसके मु.नं. 97/2017 राजस्व वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2017 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने से खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आनन फानन में निर्णय पारित किया वो अपने आप में ही संशय पैदा करता है कि दिनांक 24.04.2017 को प्रार्थना पत्र पेश हुआ और दिनांक 25..04.2017 को निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र में अपीलान्टगणों को विपक्षी बनाया हुआ है, किन्तु विपक्षी को न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किये, न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया और न ही अपनी बात कहने का मौका दिया, मनमकसूद तरीके से विधिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय पूर्णतया विधिक दृष्टि से नियमानुकूल होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर पत्थरगढी का आदेश नये सिरे से पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर